उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ

न्यायालय सं0–5

उपस्थित–माननीया श्रीमती अनिता राज, सदस्य (न्यायिक)

याचिका सं0 1188/2017

धरम वीर सिंह, उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र श्री प्रभु राम दिवाकर, निवासी मकान नं0एफ-2, वैष्णवीकुंज अपार्टमेंट, प्लाट नं0 141डी, पनकी, जनपद–कानपुर, वर्तमान कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विभूति खण्ड, सिडको बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।

.....याची

बनाम

1.उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग, शासन उ0प्र0,
सिविल सचिवालय लखनऊ।

2. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड,
मुख्यालय, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

3. अधीक्षण अभियन्ता,
अनुशासनिक कार्यवाही एवं सतर्कता,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम,
लि0 शक्ति भवन 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

. . . .विपक्षीगण

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार, उपस्थित।
वास्ते विपक्षीगण उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सुश्री श्वेता सिंह।

(मा0 श्रीमती अनिता राज, सदस्य, न्यायिक द्वारा श्रुतलेखित)

याची द्वारा प्रस्तुत निर्देश याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा-4 के अंतर्गत विपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित

आलोच्य आदेश दिनांकित 01.11.2014 (संलग्नक–1) एवं दिनांकित 26.05.2017 (संलग्नक–2) को निरस्त करते हुए आसन्न होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति में याची की पदोन्नति पर विचार करने हेतु विपक्षी को निर्देशित किया जाये।

अन्य कोई त्वरित व लाभकारी उपचार जो माननीय अधिकरण न्यायहित में उचित समझे उसे भी मय याचिका व्यय याची को प्रदान कराया जाये।

2. संक्षिप्त में याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि याची की नियुक्ति दिनांक 01.07.1994 को अवर अभियन्ता(ई एण्ड एम) के पद पर होने के उपरान्त उसने अपनी ज्वाइनिंग 01.07.1994 को दी थी और अन्परा थर्मल पावर हाउस, अन्परा, जनपद-सोनभद्र में कार्रयत रहा है। याची का कार्य एवं आचरण उच्चधिकारियों के प्रति सदैव प्रशंसनीय रहा है। तदोपरान्त उसकी पदोन्नति दिसंबर 2003 में अधिशासी अभियंता के पद पर होने के उपरान्त वह विभिन्न स्थानों पर कार्यरत रहा है, उसका कार्य एवं आचरण सदैव अपने उच्चाधिकारियों के प्रति सदैव संतोषजनक रहा है। याची का स्थानान्तरण परीचा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, परीचा, झांसी से लखनऊ मुख्यालय में हुआ और उसने लखनऊ में दिनांक 18.05.2010 को ज्वाइन किया और उसका स्थानान्तरण पनकी थर्मल पावर हाउस, कानपुर में किया गया जहाँ पर वह दिनांक 30.12.2014 तक कार्यरत रहा और पुनः उसका स्थानान्तरण लखनऊ हुआ। याची अधिशासी अभियंता के पद पर कानपुर में तैनात रहने के दौरान विपक्षी संख्य-3 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांकित 28.11.2013 (संलग्नक-3) स्पष्टीकरण दाखिल किये जाने हेतु निर्गत की गयी, जिसमें याची पर निम्न आरोप लगाया गया है कि-

> **"पनकी ताप विद्युत गृह पर ब्वायलर अनुरक्षण खण्ड में आपकी तैनाती की अवधि में इकाई संख्या-4 की दिनांक 01.02.2013 तक (86 दिनों में) वृहद् ओवरहालिंग कराई गयी थी जबकि यह 75 दिन की शेड्यूल ओवरहालिंग थी तथा लगभग 23 करोड़ रूपये खर्च हुए परन्तु इकाई को पूर्ण भार पर चलाया नहीं जा सका था। इकाई का माह मई, 2013 में औसतन भार 63 मेगावाट तथा माह जून 2013 का औसतन भार मात्र 56 मेगावाट राह है, जो यह दर्शाता है कि ओवरहालिंग के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया**

एवं गुणवत्ताविहीन कार्य होने के कारण अत्यधिक व्यय (रू 23 करोड़) के बावजूद इकाई को पूर्ण भार पर नहीं चलाया जा सका।"

यदि ओवरहालिंग में आपके स्तर से पर्यवेक्षण की कमी नहीं होती तो दो महीने के अन्दर ही ब्वायलर ड्रम के मेन होल से लीकेज नहीं होता। इसके साथ-साथ माह मई, 2013 में इस इकाई में बीटीएल हुए जिसको अटेण्ड करने में 116 घण्टे लगे एवं जून, 2013, जुलाई, एवं अगस्त, 2013 में भी एक-एक बीटीएल हुआ। ओवरहालिंग के बाद 4 माह का औसत पी0एल0एफ0 58.54 प्रतिशत मात्र रहा जबकि ओवरहालिंग के पूर्व 4 माह का औसत पी0एल0एफ0 56.49 प्रतिशत था, अर्थात् ओवरहालिंग के बाद वांछित सुधार नहीं हुआ। ओवरहालिंग के बाद के समय में इकाई की परफारमेन्स का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इकाई की खराब परफारमेन्स का मुख्य कारण ब्वायलर क्षेत्र में बार-बार आ रही समस्यायें हैं जिसके लिए आप उत्तरदायी हैं।"

3. याची को उक्त कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के पश्चात उससे 15 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी, जो उसने दिनांक 19.12.2013 को प्रेषित किया। याची द्वारा कथन किया गया है कि उसके विरूद्ध निन्दा परिविष्टि के साथ-साथ एक वेतन वृद्धि 03 वर्ष तक रोके जाने संबंधी दंडादेश दिनांकित 01.11.2014 (संलग्नक-1) याची को सुनवायी का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, जो अमुखरित एवं कारण रहित एवं अविधिक व अनियमित आदेश है। प्रश्नगत दंडादेश पारित किये जाने के पूर्व याची के विरुद्ध कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। याची द्वारा प्रश्नगत आलोच्य आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष विस्तृत बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए प्रत्यावेदन/अपील दिनांकित 06.12.2014 प्रस्तुत की गयी, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्यक विचार किये बिना अपने आदेश दिनांकित 26.05.2017 (संलग्नक-2) द्वारा याची का प्रत्यावेदन/अपील को निरस्त कर दिया। इस प्रकार याची को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रश्नगत आलोच्य आदेश दिनांकित 01.11.2014 एवं दिनांक 26.05.2017 पारित किये गये हैं, जिनसे क्षुब्द होकर याची द्वारा अधिकरण के समक्ष यह याचिका योजित की गयी है।

4. विपक्षीगण द्वारा लिखितविवेचन/प्रतिशपथपत्र दिनांकित 06.11.2017 प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि याची द्वारा प्रस्तुत याचिका आलोच्य आदेश दिनांकित 01.11.2014 से एक वर्ष की भीतर प्रस्तुत न कर 18.07.2017 अर्थात आलोच्य आदेश निर्गत होने के 03 वर्ष बाद दाखिल किये जाने के कारण कालबाधित है, अतः याचिका इस मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। याची को दिनांक 28.11.2013 को निदेशक (तकनीकी) द्वारा अनुमोदनोपरान्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उसमें कथन किया गया है कि याची द्वारा पनकी ताप विद्युत गृह पर ब्वयालय अनुरक्षण खण्ड में उसकी तैनाती के दौरान इकाई संख्या-4 की दिनांक 01.2.2013 से 27.05.2013 तक अर्थात 86 दिनों में वृहद ओवरहालिंग करायी गयी, जबकि ये 75 दिन की ओवरहोलिंग की शेड्यूल थी, जिस पर लगभग 23 करोड़ रूपये खर्च किये जाने पर भी उक्त इकाई संख्या-4 को पूर्ण भार पर चलाया नहीं जा सका। माह मई 2013 तथा माह जून 2013 का क्रमशः औसतन भार 63 मेगावाट व 56 मेगावाट रहा है। इससे प्रतीत होता है ओवरहालिंग के समय पर्याप्त पर्वेक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया और गुणवत्ताविहीन कार्य होने के कारण उक्त अत्यधिक व्यय किये जाने के बावजूद इकाई को पूर्ण भार नहीं चलाया जा सका, अन्यथा दो महिने के अंदर ब्वायलर के मेन होल में लीकेज नहीं होता। ये भी कथन किया गया है कि इकाई में बीटीएल हुए मई 2013 में अटेन्ड करने में 116 घंटे लगे एवं जून 2013 से अगस्त 2013 में भी एक-एक बीटीएल हुआ। इस प्रकार ओवरहालिंग के बाद वांछित सुधार नहीं हुआ है। इकाई के परफार्मेन्स का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इकाई की खराब फरफार्मेन्स के कारण ब्वायलर क्षेत्र में बार-बार आ रही समस्याओं के लिए याची उत्तरदायी है।

5. याची द्वारा प्रत्युत्तरशपथपत्र दिनांकित 18.12.2019 लिखितविवेचन/प्रतिशपथपत्र के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि याची ने दंडादेश दिनांकि 01.11.2014 के विरूद्ध विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.05.2017 के माध्यम से निरस्त कर दिये जाने के कारण याचिका समयसीमा के अन्तर्गत दाखिल की गयी है। याची के द्वारा अग्रेतर याचिका के अभिकथनों की अधिकांशतः पुनरावृत्ति की गयी है।

6. याचिका के निस्तारण के क्रम में मैंने याची की ओर से अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार एवं विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना एवं परिशीलन किया गया।

7. याची सन 2013 में अधिशासी अभियन्ता, ब्वायलर अनुरक्षण खण्ड, पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी, कानपुर में पदस्थ थे। पनकी तापीय परियोजना की इकाई संख्या-4 की दिनांक 01.02.2013 से 27.05.2013 तक 86 दिनों में वृहद् ओवरहालिंग करायी गयी, जबकि यह कार्य 75 दिन में किया जाना था। इसमें लगभग 19.2 करोड़ रूपये खर्च हुए, परन्तु इकाई को पूर्ण भार पर नहीं चलाया जा सका तथा इकाई का माह मई 2013 में औसतन भार 63 मेगावाट, माह जून 2013 में औसतन भार 56 मेगावाट रहा। उपरोक्त इकाई को खराब परफार्मेन्स के लिए याची से स्पष्टीकरण माँगा गया, जिसके परीक्षणोपरान्त याची को पनकी ताप विद्युत गृह के ब्वायलर से संबंधित अनुरक्षण कार्यों को गुणवत्ता के साथ कराये जाने में लापरवाही बरतने, इकाई के अत्यधिक ट्रिपिंग एवं ओवरहालिंग की निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करवाने में असफल रहने के दृष्टिगत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन में शिथिलता बरतने के कारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आरक्षण नियमावली 1956 नियम-3 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए निन्दा प्रविष्टि के साथ एक वेतन वृद्धि 03 वर्षों तक रोके जाने का दण्ड प्रदान किया गया।

8. याची को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 28.12.2013 निर्गत किया गया और उसे 15 दिन का समय स्पष्टीकरण दाखिल करने का दिया गया, जो उनके द्वारा 19.12.2013 को प्रेषित किया गया। याची के द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि याची ने कारण बताओ नोटिस का बिन्दुवार स्पष्टीकरण प्रेषित किया था, परन्तु आलोच्य आदेश में याची के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का गहनता व सूक्ष्मता से विचारण किये बिना, प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया, जिसमें दण्डाधिकारी द्वारा मात्र स्पष्टीकरण का परीक्षण करना अंकित किया है। आलोच्य अधिकारी ने इस बात का उल्लेख कहीं नहीं किया गया कि उनके द्वारा स्पष्टीकरण को पर्याप्त क्यों नहीं माना गया, न ही इस बात की उल्लेख किया गया है कि स्पष्टीकरण में दिये गये बिन्दुवार तथ्यों पर दण्डाधिकारी

द्वारा अविश्वास किये जाने का क्या कारण रहा। अतः आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अमुखरित व कारण रहित है।

9. दण्डादेश में कारणों का अभिलिखित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है- **माननीय उच्च न्यायालय ने राजकुमार मेहरोत्रा बनाम स्टेट आफ बिहार व अन्य सुप्रीम कोर्ट केसेज 2006 679 (0एण्ड एस0एल)** में यह अवधारित किया है कि–

> **"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-a requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside."**

10. विधि व्यवस्था **नन्दकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1978)एस एल0(591 0पृष्ठ सं0को0एलसु0** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि-

> **"अनुशासनिक कार्यवाही अल्प न्यायिक प्रकृति की होती है। जाँच अधिकारी का कोई भी निष्कर्ष ग्राहय साक्ष्य पर आधारित होना अनिवार्य हो, अर्थात इतनी साक्ष्य सामाग्री पत्रावली पर उपलब्ध**

होना चाहिए, जो आरोपित सेवक के दोष को निश्चिततापूर्वक इंगित करे, संदेह को सबूत का स्थान लेने की अनुमति नही दी जा सकती है।"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Union of India Versus Mohan Lal Kapoor, (1973) 2SCC 836,** में विधि व्यवस्था प्रदान की है कि–

> **"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal rational nexus between the facts considered and the conclusions ions reached,"**

12. **क्रांति एसोसिएशन प्रा0लि0 एवं अन्य बनाम मसूद अहमद खान एवं अन्य, एस0एल0पी0 (सिविल) नं0 20428 दिनांक 08.09.2020,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

> **"quasi-judicial authority must record reasons in support of its conclusions because reasons have virtually become as indispensable a component of a decision-making process as observing principles of natural justice by judicial, quasi-judicial and even by administrative bodies. It has also been held that insistence on recording of reasons is meant to serve the wider principles of justice that justice must not only be done it must also appear to be done as well."**

13. विधि व्यवस्था **जीवल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 0 (2) 2010 एस497 0सी0सी0** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि-

"That is requirement of recording reasons by every quasi-judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facet of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में आलोच्य आदेश अमुखरित व कारण रहित होने के कारण दूषित है।

14. याची द्वारा आलोच्य आदेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील दायर की, जिसको बिना कोई आधार उल्लिखित किये हुए दिनांक 26.05.2017 को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया गया। अतः स्पष्ट है कि अपीलीय आदेश भी अमुखरित व कारण रहित होने के कारण दूषित है।

15. इस बिन्दु पर विधि व्यवस्था **नरेन्द्र मोहन आर्य बनाम यूनाइटेड इण्डिया एवं अन्य 2006 एल0ए0बी0 एल0 सी0 2114** में सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलीय आदेश के बाबत यह अवधारित किया है कि-

"Order of appellate authority-- May not be speaking if it agrees with findings of disciplinary authority -- But must show application of mind as regard requirements of law while exercising his jurisdiction.

16. उपरोक्त समस्त विवेचना के फलस्वरूप तथा उल्लिखित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में आलोच्य आदेश दिनांकित 01.11.2014 तथा अपीलीय आदेश दिनांकित 26.05.2017 आपास्त किये जाने योग्य हैं तथा याचिका स्पीकार की जाती है।

<u>आदेश</u>

याची द्वारा याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरुद्ध पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 01.11.2014 (संलग्नक-1) एवं अपीलीय आदेश

दिनांकित 26.05.2017 (संलग्नक-2) आपास्त किये जाते हैं। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 03 माह के अन्तर्गत उपरोक्त निरस्त आदेश के आधार पर याची के रोके गए समस्त पारिणामिक सेवा लाभ उसे प्रदान कराया जाये। उभय पक्ष अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

ह0/
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

दिनांक 20.08.2026

बी.के.यादव(Steno)